न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 23/2022

अनवान : –

1. बिंझा पत्नी रामधन जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. चेनाराम पुत्र रामधन जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. सहीराम पुत्र हरसुख जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र हरसुख जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।
3. ताराचन्द पुत्र हरसुख जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति बावरी साकिन देईदास तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2.श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 03/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 285/296 की कुल 3.9200 हैक्ट भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 783/784 की कुल 15.3400 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका है तथा वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण भूमि की काश्त सीमाए तथा अधिकारों के बाबत फरिकेन आपस में तनाजात रहते है जमाबंदी में काफी हिस्सेदार होने के कारण सायलान के साथ सींव ल लगान व काश्त आदि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये पुख्ता निर्माण कार्य करवाने हेतु ईंट डालकर निर्माण शुरू कर रहे है ताकत के बल निर्माण करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की निर्माण कार्य करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 285/296 की कुल 3.9200 हैक्ट भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विवादित भूमि का अकृषि उपयोग नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की सायल व गैरसायलान पूर्वजों के बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि को काश्त करते आ रहे है जिससे अलग अलग सींव व डोल बने हुए है। उत्तरदाता का सायलान के साथ सींव व लगान को लेकर कभी भी झगड़ा नही रहा है। उत्तरदाता अपने खेत में ढाणी बनाने हेतु स्वतंत्र है जो की जोत सुधार की श्रेणी मे आता है तथा उत्तरदातागण रिकार्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका है तथा वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण भूमि की काश्त सीमाए तथा अधिकारों के बाबत फरिकेन आपस में तनाजात रहते है सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये एव सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पुख्ता निर्माण कार्य करवाने हेतु ईंट डालकर निर्माण शुरू कर रहे है ताकत के बल निर्माण करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की निर्माण कार्य करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की गैरसायलान अपने बंटवारे में मिले हिस्सा अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल बना रखा है उत्तरदाता अपने परिवार सहित अपनी कृषि भूमि में ढाणी बना रहा है जो की जोत सुधार की श्रेणी में आता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन/अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 285/296 की कुल 3.9200 हैक्ट भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 783/784 की कुल 15.3400 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विभाजन करवाये मुश्तरका खाता की भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः जब तक वाद में उभयपक्षों का खाता व लगान अलग नहीं हो जाते तब तक वाद भूमि में रहन, बैय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किसी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण उभयपक्षों के द्वारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है लेकिन उभयपक्षो की रिकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 285/296 की कुल 3.9200 हैक्ट भूमि में उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में संपरिवर्तन करवाये बिनां निर्माण कार्य करने से निषेद्ध रहे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/06/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:51 IST
Reason: SelfAttested